आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 23.07.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
- राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों के अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के लिए नई एस.ओ.पी जारी की।
- प्रदेश में नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों पर व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू। नशा मुक्ति केंद्रों की पारदर्शिता, गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करना है उद्देश्य।
- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायव चुनाव के पहले चरण का मतदान कल। विभिन्न जिलों में मतदान पार्टियां, पोलिंग बूथों के लिए रवाना।

मुख्यमंत्री समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित नागरिक उड्डयन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाया जाना जरूरी है, साथ ही हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का भी सख्ती से पालन कराया जाए। श्री धामी ने प्रदेश में एयरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने और चारधामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरु करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभागीय सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि पायलट प्रशिक्षण के लिए पंतनगर में नया फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षित पायलट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह केन्द्र एक महत्वपूर्ण कदम है। हवाई यातायात को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसरो के साथ मिलकर डिजिटल मैपिंग की क्षमता विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के माध्यम से उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देहरादून– जोशीमठ, जोशीमठ– बद्रीनाथ के बीच शटल सेवा और पिथौरागढ़– धारचूला और पिथौरागढ़– मुनस्यारी के बीच हवाई सेवा शुरु करने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह आदि कैलाश क्षेत्र में तीर्थाटन ओर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुंजी से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरु करने की योजना है।

मानक संचालन प्रक्रिया

राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों के अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया– एस०ओ०पी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना ठोस चिकित्सकीय कारण के किसी भी मरीज को जिला या उप–जिला अस्पतालों से बड़े अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों को रेफर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मरीजों को प्राथमिक उपचार और विशेषज्ञ सेवा जिला स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इलाज में देरी न हो और संसाधनों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। नई एसओपी के अनुसार केवल विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की स्थिति में ही रेफरल किया जा सकेगा। ऑन–ड्यूटी चिकित्सक स्वयं मरीज की जांच कर रेफरल का निर्णय लेंगे और इसका स्पष्ट कारण रेफरल फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

आपातकालीन स्थिति में ऑन–ड्यूटी विशेषज्ञ व्हाट्सऐप या कॉल के जरिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाद में दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य होगा। अनावश्यक रेफरल की स्थिति में संबंधित सीएमओ या सीएमएस को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो– बीआईएस, देहरादून की ओर से पेयजल विभाग के राज्य व जिला स्तरीय अभियंताओं और अधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भवन निर्माण, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, स्वच्छता प्रणालियों और संबंधित बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में भारतीय मानकों व उत्कृष्ट तकनीकी पद्धतियों की जानकारी देना था। इस अवसर पर बीआईएस के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है, विशेषकर जल और स्वच्छता से जुड़े क्षेत्रों में।

इस अवसर पर पेयजल विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय सिंह ने कहा कि बीआईएस के तकनीकी मानकों की जानकारी विभाग की परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायक होगी।

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों पर व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। शासन ने सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड को सक्रिय करने और निरीक्षण की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों की पारदर्शिता, गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करना है।

प्रदेश में फिलहाल 133 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अनंतिम पंजीकरण पर हैं। अंतिम पंजीकरण से पहले उनका स्थल निरीक्षण और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना वैध पंजीकरण चल रहे केंद्रों पर आर्थिक दंड के साथ तत्काल बंदी की कार्रवाई की जाएगी। सभी केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत अंडरटेकिंग देना भी जरूरी होगा।

जिलों में गठित निरीक्षण टीमें, केंद्रों की पंजीकरण स्थिति, सुविधाएं, कर्मचारियों की उपलब्धता और इलाज की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। सरकार ने साफ किया है कि निर्धारित मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी।

शासन ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड की मासिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। वर्तमान में 7 जिलों में बोर्ड कार्यरत हैं, जबकि 6 में गठन प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में केवल वे संस्थान कार्यरत रह सकेंगे जो सभी निर्धारित मानकों का पालन करेंगे।

पोलिंग पार्टी पौड़ी

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायव चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। विभिन्न जिलों में पोलिंग पार्टियां अपने–अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुईं। वहीं, पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आठ विकासखण्डों में 509 ग्राम पंचायत प्रधानों, 195 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 22 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होगा। चुनाव के लिए 643 मतदान पार्टियां आज रवाना हुईं। खिर्सू विकासखण्ड के रिटर्निंग अधिकारी पी.आर. चमोली ने बताया कि विकासखण्ड में चुनाव के लिए 48 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि बरसात को देखते हुए नोडल अधिकारी एलर्ट मोड पर हैं।

मतदान अधिकारी नीनू किमोठी का कहना है कि वे पहली बार निर्वाचन ड्यूटी कर रही हैं, जिसको लेकर वे बड़ी उत्साहित हैं।

उधर, चम्पावत जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 182 मतदान पार्टियों को रवाना किया गया

चुनाव चेकिंग अभियान

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की लगातार सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून जिले में विकासनगर अंतर्गत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा कुल्हाल और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा दर्रारीट पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन सीमा क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख जा रही है।

वाहन आवाजाही प्रतिबंध

अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा–हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात 11 बजे से प्रातः पांच बजे तक हल्के और भारी वाहनों का संचालन 18 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। इस राजमार्ग पर क्वारब पुल के पाल हिल साइड की ओर करीब 200 मीटर लंबाई में भूस्खलन जोन बन गया है। लगातार मलबा और क्षतिग्रस्त भाग में पहाड़ी की ओर हिल कटिंग कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत कल रात से आगामी 18

अगस्त तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक हल्के और भारी वाहनों के संचालन के लिए मार्ग बंद कर दिया गया है। इस दौरान वाहनों का संचालन वैक्लपिक मार्ग अल्मोड़ा–विश्वनाथ–शहरफाटक और खैरना–रानीखेत मोटर मार्गों से होगा।